

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/112/2018

प्रवेश तिथि  
25-06-2018

निर्णय दिनांक  
27-02-2019

01- खुशीराम पुत्र मनीराम जाति गुर्जर निवासी नौगावां तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़  
दिनांक 13.03.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 80/2018

उपस्थित:-

01-श्री राजेश कुमार गुप्ता

-वकील अपीलाण्ट

--:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 13.03.2018 जिसके द्वारा अपीलाण्ट का ग्राम नौगावां की गैर मुमकिन नदी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.30 है० में से 0.08 है०, पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ० को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।


विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नौगावां की गैर मुमकिन नदी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.30 है० में से 0.08 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 23.02.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।


सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 13.08.2018 के विरुद्ध दिनांक 07.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 12.09.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2018 में भी अपीलाण्ट का कब्जा नहीं होना बताया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की जाती है। तहसीलदार रामगढ़ प्रकरण का मौका देखकर यह तय करे कि यदि मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है तो कार्यवाही समाप्त करे एवं यदि मौके पर अतिक्रमण यथावत पाया जाता है तो अतिक्रमी के विरुद्ध एल आर एक्ट की धारा 91(6) के तहत सख्त कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में पुनः 26.03.2019 को सुनवाई हेतु रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-02-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(ओ०पी०जैन )

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)